

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

धीरेन्द्र पासवान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी—सह—जैव स्थानिक विश्लेषक) के 01 (एक) संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (Bihar State Bio-diversity Board), पटना का कार्यालय संचालित है। जैविक श्रोतों के व्यापारिक उपयोग पर नियंत्रण स्थापित करना, जन जैव विविधता पंजी के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र (Information System) विकसित करवाना, लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु कार्रवाई करना, शोध एवं अध्ययन करवाना, जैव विविधता विरासत स्थलों का चयन करना, राज्य सरकार को जैव विविधता संरक्षण, इसके संवहनीय उपयोग एवं जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों को साम्यपूर्ण (Equitable) रूप से हित धारकों में वितरित किये जाने हेतु आवश्यक सलाह देना, जैव प्रबंधन समितियों को तकनीकी सलाह देना, समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं अन्य इकाईयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि में सहयोग दिये जाने से संबंधित कार्यों का संपादन सुनिश्चित कराना आदि उक्त पर्षद कार्यालय के मुख्य कृत्यों में सम्मिलित हैं।

2. उक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु प्रतिमाह रु 75000/- (पचहत्तर हजार) के दर से कुल रु 9,00,000/- (नौ लाख) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर वैज्ञानिक पदाधिकारी—सह—जैव स्थानिक विश्लेषक (Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst) के 01 (एक) संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के अन्तर्गत सृजित होने वाले 01 (एक) वैज्ञानिक पदाधिकारी—सह—जैव स्थानिक विश्लेषक (Scientific Officer cum Bio-spatial

Analyst) के पद के लिये अर्हता एवं शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, मानदेय, सेवा शर्त, चयन प्रक्रिया आदि का पूर्ण विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

4. उक्त सृजित पद पर होने वाले व्यय की राशि व्यय बजट मुख्य शीर्ष-3435 पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण, उपमुख्य शीर्ष-03 पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिकी पुनरुद्भव, लघु शीर्ष-102 पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, मांग संख्या-19, उपशीर्ष-0001 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, विपत्र कोड-19-3435031020001 के प्राथमिक ईकाई संख्या-0001.31.04 सहायक अनुदान-वेतन, पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन एवं मानदेय से विकलनीय होगा तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना होंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(धीरेन्द्र पासवान)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या- 02/वन्य प्राणी-13/2019.....प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- (अनुलग्नक सहित), महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना/सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(धीरेन्द्र पासवान)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02/वन्य प्राणी-13/2019...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 08.08.2023 के मद संख्या-3 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(धीरेन्द्र पासवान)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02/वन्य प्राणी-13/2019...../प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक 05/09/2023

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धीरेन्द्र पासवान)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना के कार्यालय के लिए प्रस्तावित पदों की शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, सेवा शर्त एवं चयन की प्रक्रिया।

क्र. सं.	पदों का नाम	शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएँ	अधिकतम आयु	मानदेय	चयन
1	Scientific officer cum Bio-spatial analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक) 01 (Post)	❖ Education: Master degree (Msc. or M.Tech) in GIS /Remote Sensing from Recognised & Premier Institute. Professional: Experience • Minimum 6 year of experience in the subject. Desirable: • At least five years of experience related to Environmental, Biodiversity, Forestry related work. • Exposure and experience of working with state government, board, Corporation. • Exposure and experience having Scientific work, Vulnerability, Wetland, Bio-spatial Analysis.	General (Male)-40 years/EBC (Male and Female)-43 years, General Female- 43 years, SC/ST (Male and Female) 45 Years	75,000/- Per Month	On Contract

2. सेवा में निम्नांकित प्रावधान एवं शर्त प्रयुक्त होंगे :-

- अनुबंध सेवा में नियुक्ति बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से विनिर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।
- अनुबंध सेवा 03 वर्ष के लिए एकरारनामा के आधार पर की जायेगी, जो आवश्यकता एवं संतोषप्रद सेवा रहने के आधार पर प्रत्येक बार तीन वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।
- उपरोक्त सेवा विस्तार की स्थिति में मासिक पारिश्रमिकी में प्रत्येक सेवा वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि अनुमान्य होगी।
- मासिक पारिश्रमिक की राशि में EPF सेवक तथा नियोजक के अंशदान सम्मिलित हैं। निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- अनुबंध सेवा अवधि में राजपत्रित अवकाश के अलावे संविदा कर्मियों को 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। वर्ष में प्रत्येक माह की सेवा पर दो दिन के दर

से उपार्जित अवकाश देय होगा, परन्तु अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के लिए नगदी का भुगतान देय नहीं होगा।

- (vi) सरकारी कार्य पर यात्रा व्यय बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा।
- (vii) अनुबंध सेवा हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी।
- (viii) यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगा तथा भविष्य के लिए नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा।

3. अनुबंध सेवा हेतु चयन प्रक्रिया—

(क) बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा नियुक्ति की स्थिति में

चयन हेतु समाचार पत्रों एवं सरकार के वेबसाइट पर विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत विवरणी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा अनुभव के आधार पर किया जायेगा तथा योग्य आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा।

1.	अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना	अध्यक्ष
2.	मुख्य वन संरक्षक, स्तर से अन्यून पदाधिकारी (विभाग द्वारा मनोनित)	सदस्य
3.	अनु०जाति/अनु०जनजाति के सदस्य (बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा मनोनित)	सदस्य
4.	अल्प संख्यक समुदाय के सदस्य (बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा मनोनित)	सदस्य
5.	सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना	सचिव

समिति द्वारा विभिन्न कोटियों के योग्य उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना से अनुमोदन प्राप्त कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने उन्हें नियोजन संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। निर्धारित अर्हता एवं योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नहीं मिलने, इनके नियोजन या मानदेय निर्धारण से संबंधित अथवा किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में उक्त समिति द्वारा अर्हता, योग्यता एवं मानदेय निर्धारण के साथ-साथ अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। इस नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।